70

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 80/16

सोनू कुमार पुत्र लिछमणराम जाति नायक साकिन 3 एमसी हाल सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र देवाराम जाति नायक साकिन 3 एमसी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. लिछमणराम पुत्र देवाराम जाति नायक साकिन 3 एमसी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. रानी पुत्री देवाराम जाति नायक साकिन 3 एमसी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. सन्तोष पुत्री देवाराम जाति नायक साकिन 3 एमसी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. रोशनी पुत्री बुधराम पुत्र देवाराम जाति नायक साकिन 3 एमसी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. शकुन्तला देवी पत्नी कृष्णलाल जाति मेघवाल साकिन शाहपीनी तहसील संगिरया जिला हनुमानगढ़
7. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6

निर्णय दिनांकः 28.8.2019

1. अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट के दादा देवाराम पुत्र श्री पूर्णराम के नाम वाके चक 3 एमसी के प0न0 73/31 के किला न. 1 ता 20, 21/2 में कुल 6.199 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का पुख्ता आवंटन हुआ था। तथा पुख्ता आवंटन की समस्त किस्ते जमा होनें के पश्चात खातेदारी प्राप्त हुए है। अपीलांट के दादा का देहान्त होनें के बाद उनके जायज वारिसों में क्रमशः चावली देवी पत्नी देवाराम, बुधराम–मंगलाराम–कृष्णलाल–लिछमणराम–रानी एवं सन्तोष इस प्रकार कुल 7 जायज वारिस थे। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 6 से मिलकर राजस्व कर्मियों से सांठ गांठ कर चावली देवी एवं कृष्ण लाल को छोडकर शेष के नाम ही विधि विरूद्व इंतकाल स्वीकृत करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए चक 3 एमसी का इंतकाल संख्या 449 दिनांक 07.7.2015 को स्वीकृत कर दिया जबकि 45 दिनों तक विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत का है इसके साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 से उक्त रकबा को रेस्पोडेंट न. 6 ने अपने नाम बैयनामा दिनांक 09.7.2015 को करवा लिया जिसका इंतकाल दिनांक 17.07.2015 को मातहत न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत किया गया इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 की मिली भगत एवं जालसाजी से विरास्तन इंतकाल में जायज वारिसान को छोड़कर इंतकाल संख्या 449 स्वीकृत करवाया गया । अतः अपील स्वीकार की जाकर उक्त इंतकाल खारिज किया जावे।
2. अपील 80/2016 पर दर्ज की गई। एवं रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । दौराने बहस रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 व 4 के अधिवक्तागण उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेंट संख्या 6 के अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के दादा का देहान्त होनें के बाद उनके जायज वारिसों में क्रमशः चावली देवी पत्नी देवाराम, बुधराम, मंगलाराम, कृष्णलाल, लिछमणराम, रानी एवं सन्तोष इस प्रकार कुल 7 जायज वारिस थे। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 6 से मिलकर राजस्व कर्मियों से सांठ गांठ कर चावली देवी एवं कृष्ण लाल को लापता मानकर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उनकी सिविल डेथ मानते हुए इंतकाल शेष 5 वारिसान के नाम दर्ज कर उनका हिस्सा दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व इंतकाल स्वीकृत करवा लिया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी चावली देवी एवं कृष्ण लाल को वारिस माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र को अनदेखा करते हुए चक 3 एमसी का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

इंतकाल संख्या 449 दिनांक 07.7.2015 को स्वीकृत कर दिया साथ ही 45 दिनों तक विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत का है परन्तु मातहत न्यायालय ने उसी दिन इंतकाल स्वीकृत कर दिया जो की नियम विरूद्व है। अतः अपील खारिज की जावे।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 ने अपनी बहस में प्रथमतः अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के बिन्दुओं पर कथन किया कि अपीलांट ने अपील चावली देवी व कृष्णलाल के हिस्से के लिए प्रस्तुत की है, तो प्रस्तुत अपील में उन्हे पक्षकार क्यों नही बनाया गया? ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र हेतु दिये गये प्रार्थना हल्फनामें वार्ड पंच द्वारा तस्दीक करने व उसे स्वीकार करनें व नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के बाद जारी वारिसनामा में चावली देवी को 25 वर्षो से लापता व कृष्णलाल को 20 वर्षो से लापता माना है। ग्राम पंचायत के उक्त वारिसमाना के आधार पर ही इंतकाल शेष वारिसान के नाम दर्ज हुआ है और अपीलांट के पिता लिछमण राम के नाम 1/5 हिस्सा आया है, यदि चावली देवी व कृष्ण लाल को भी वारिसान मानकर इंतकाल दर्ज किया जाता तो लिछमण राम के हिस्सा में 1/7 हिस्सा भूमि आती। इस प्रकार चावली देवी व कृष्णलाल को वारिस न बनाकर लिछमण राम को तो फायदा ही हुआ है। अपीलांट सोनू का प्रकरण में किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं हुआ है। 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वहीं पेश कर सकता है, जिसका हित प्रभावित हुआ हो, जिसके हितो को नुकसान पहुंचा हो। और जब चावली देवी व कृष्णलाल द्वारा ही कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की न ही उनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई और तो और जब उन्हे पक्षकार ही नहीं बनाया गया तो अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने का कोई औचितय ही नहीं बनता है। विवादित रकबा में अपीलांट के पिता लिछमणराम के नाम 1/5 हिस्सा भूमि आयी है, अगर अपीलांट उक्त रकबा में अपना हिस्सा चाहता है तो सक्षम न्यायालय पौत्र, पिता के हिस्सा में से स्वयं का हिस्सा घोषित करवाये। इसी इंतकाल के आधार पर अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ में दावा प्रकरण संख्या 105/16 व 110/2016 भी कर रखा है। साथ ही विवादित रकबा का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 ने रेस्पोडेंट संख्या 6 को कर दिया है। व रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा भी उकत रकबा केशराराम को दिनांक 17.6.2016 को रजिस्टर्ड बैयनमाा विक्रय कर दिया है। अतः पंजीबद्व बैयनामा को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। साथ ही प्रस्तुत अपील इंतकाल दर्ज होनें के लगभग एक वर्ष प्रस्तुत की है। अपील मियाद बाहर होनें के बाद भी प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः उक्त तथ्यों से जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा यह अपील मात्र रेस्पोडेंट को परेशान करने एवं बदनियती से की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपने जवाब बहस में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (9) 2002 पेज 630, पेज 611 पेश कर निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक मत में स्पष्ट किया है कि हितबद्व प्रकरण में अगर कोई तथ्य या कानून का बिन्दु निहित है तो उस पर निर्णय किया जाना उचित है। अतः अपील स्वीकार की जावे। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (16) 2009 पेज 749, आरआरडी 14.8.2015 पेज 480, आरआरडी 1998पेज 319, आरआरडी अप्रेल 2002 पेज 191, आरआरडी 1992 पेज 364 पेश कर निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील स्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजों का गंभीरता से अवलोकन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकरण में अपील नामांतकरण के आधार पर पंजीकृत बैयनामे को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट चाहे तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है जिससे विस्तृत साक्ष्य, सबूतों के विचारण के बाद विवाद का निर्णय हो सके। रेस्पोडेंटस के अधिवक्ताओं के तर्कों से हम सहमत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो तथा नंबर से कम हो। फैसला आज दिनांक 28.8.19 को सर्रे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner